UPSP010072632026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी– निशान्त देव, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे.ओ.कोड–यू.पी.1704)

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–3084/2026

शौकीन पुत्र कामिल, निवासी ग्राम घाटमपुर, थाना नकुड़, जिला सहारनपुर ।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य ..... अभियोजन

मु0अ0सं0– 172/2026
धारा– 8/21/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना–नकुड़, जिला– सहारनपुर।

29–07–2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **शौकीन** पुत्र कामिल की ओर से मु०अ०सं०– 172/2026, धारा– 8/21/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना नकुड़, जिला सहारनपुर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय में ना तो प्रस्तुत किया गया है, ना विचाराधीन है और ना ही निरस्त हुआ है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 22.03.2026 को वादी उ0नि0 देवेन्द्र अधाना मय हमराह कर्मचारीगण के थाना हाजा से बहवाले रपट सं0 21 समय 11.38 बजे पर रवाना होकर कस्बा अम्बेहटापीर से गश्त करते हुए गंगोह रोड से ग्राम अम्बेहटी जाने वाली सड़क की और मुडे तो करीब 200 मीटर चलकर सामने ग्राम अम्बेहटी की तरफ से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जो पुलिस वालो की गाडी को देखकर अचानक वापस पीछे मुडकर ग्राम अम्बेहटी की तरफ जाने लगा इस पर पुलिस वालो को शक हुआ तो गाड़ी से उतरकर इस व्यक्ति का पीछा करके इस व्यक्ति को गंगोह रोड से ग्राम अम्बेहटी जाने वाले रास्ते पर करीब 300 मीटर की दूरी पर बनी ट्यूबेल से करीब 100 मीटर आगे अम्बैहटी की ओर आम के बाग से पकड़ लिया पकडे गए व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए पीछे मुड़कर भागने का कारण पूछा तो पकडे गए व्यक्ति ने अपना नाम **मुबीन** पुत्र आलिम उर्फ अलीम निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद जनपद सहारनपुर उम्र 22 वर्ष बताया। पीछे मुड़कर भागने का कारण पूछा तो इस व्यक्ति ने बताया कि साहब मेरे पास स्मैक है। वादी उ0नि0 द्वारा मौके पर सहमति पत्र अन्तर्गत धारा 50 एनडीपीएस एक्ट तैयार कर अभि० के हस्ताक्षर कराकर जामा तलाशी हेतु सहमति प्राप्त की गयी तथा इसके उपरान्त अभियुक्त की जामा तलाशी ली गयी तो पकडे गये व्यक्ति के दाहिने हाथ से एक प्लास्टिक की काले रंग की पन्नी को खोलकर देखा तो एक प्लास्टिक की पारदर्शी पोलीथीन में हल्के लाल रंग का पदार्थ बरामद हुआ जो देखने मे नशीला पदार्थ स्मैक जैसा लगा रहा है। वादी उ0नि0 द्वारा सूंघा व कर्मचारीगण को सुंघाया गया तो नशीले पदार्थ **स्मैक** जैसी गंध आ रही है, जिसका विवेचना किट से इलेक्ट्रोनिक कांटा निकालकर वजन किया तो इसका कुल वजन **261 ग्राम** पाया गया। अभि० ने बताया कि साहब यही मादक पदार्थ स्मैक है तथा पकडे गये इस व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब यह स्मैक मुझे **शौकीन** पुत्र

कामिल व **सद्दाम** पुत्र कौशर निवासीगण ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर **से खरीद कर लाया हूँ। मैं और शौकीन व सद्दाम एक साथ स्मैक तस्करी का काम करते है। मै यह स्मैक शौकीन व सद्दाम के कहने पर लेकर आया हूँ।** अभियुक्त को इसके जुर्म से अवगत कराते हुए समय 12:25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। उक्त आधार पर अभियुक्तगण मुबीन, शौकीन व व सद्दाम के विरुद्ध धारा 8/21/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त शौकीन द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी को उपरोक्त वाद में गलत एवं झूठा अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है। सहअभियुक्त मुबीन पुत्र अलीम द्वारा प्रार्थी का नाम लिया गया है। प्रार्थी की सहअभियुक्त मुबीन से गांव की पार्टीबाजी के कारण रंजिश चली आ रही थी, जिसका मौजिज लोगों द्वारा आपसी राजीनामा करा दिया था, राजीनामा गांव के लोगों द्वारा एक सादे पेपर पर लिखा गया था। इसलिये मुबीन द्वारा प्रार्थी का झूठा नाम लिया गया है। प्रार्थी ना तो घटनास्थल पर मौजूद था और सहअभियुक्त मुबीन की गिरफ्तारी व बरामदगी किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा नहीं की गयी है और धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का कोई पालन नहीं किया गया है। वाद उपरोक्त में कोई निष्पक्ष साक्षी नहीं है। प्रार्थी पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा सहअभियुक्त **मुबीन** को मौके से पकड़े जाने पर उसके कब्जे से **261 ग्राम अवैध स्मैक** की बरामदगी हुई है। गिरफ्तारी के दौरान पकड़े गये सहअभियुक्त मुबीन उपरोक्त द्वारा बताया गया कि **वह उक्त बरामद स्मैक प्रार्थी/अभियुक्त शौकीन व सहअभियुक्त सद्दाम से खरीदकर लाया है तथा वह एवं प्रार्थी/अभियुक्त शौकीन व सहअभियुक्त सद्दाम एक साथ स्मैक तस्करी का काम करते हैं।** अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त अग्रिम जमानत पर रिहा होने के उपरांत अपराध की पुनरावृत्ति करेगा तथा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

मैंने विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में प्रपत्रों का अवलोकन किया।

स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ, अधिनियम, 1985 मादक दवाओ और साइकोट्रोपिक पदार्थो से संबंधित ऑपरेशनों के नियंत्रण और विनयमन के लिए सख्त प्राविधानों का निर्माण करता है। अधियनियम की धारा 37 ऐसे मामलो में जमानत के बारे में निम्नवत प्रावधान करती है–

> *(ख) धारा 19 या धारा 24 या धारा 27क के अधीन अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के लिए भी दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या मुचलके पर तभी निर्मुक्त किया जाएगा जब–*
>
> *(i) लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के लिए किए गए आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया है, और*
>
> *(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की सम्भावना नहीं है ।*

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***The State of Meghalaya Vs Lalrintluanga Sailo & Anr. 2024 INSC 537*** के मामले में यह अवधारित किया है कि–*"While considering the application for bail made by an accused involved in an offence under NDPS Act a liberal approach ignoring the mandate under Section 37 of the NDPS Act is impermissible. Recording a finding mandted under Section 37 of the NDPS Act, which is sine qua non for granting bail to an accused under the NDPS Act connot be avoided while passing orders on such applications."*

उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि मामले में पुलिस द्वारा सहअभियुक्त **मुबीन** को मौके से पकड़े जाने पर उसके कब्जे से **261 ग्राम अवैध स्मैक** की बरामदगी होना तथा गिरफ्तारी के दौरान सहअभियुक्त मुबीन उपरोक्त द्वारा यह बताना कि वह उक्त बरामद स्मैक प्रार्थी/अभियुक्त **शौकीन** व सहअभियुक्त **सद्दाम** से **खरीदकर लाया है** तथा वह एवं प्रार्थी/अभियुक्त **शौकीन** व सहअभियुक्त **सद्दाम एक साथ स्मैक तस्करी का काम करते हैं,** अभिकथित है। उपरोक्त बरामद स्मैक के विषय में **केन्द्रीय सरकार के नोटिफिकेशन का आ.1055 (ई). दिनांक 19.10.2001 केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)** के सारणी में निम्न इन्द्राज हैः–

नोटिफिकेशन में क्र. सं.	पदार्थ का नाम	अल्पमात्रा	वाणिज्यिक मात्रा	सहअभियुक्त से बरामद
56	स्मैक	5 ग्राम	250 ग्राम	**261 ग्राम**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सहअभियुक्त मुबीन के कब्जे से बरामद स्मैक की मात्रा **वाणिज्यिक मात्रा** से भी अधिक है तथा सहअभियुक्त मुबीन द्वारा उक्त बरामद स्मैक प्रार्थी/अभियुक्त **शौकीन** व सहअभियुक्त सद्दाम से खरीदना तथा **एकसाथ मिलकर स्मैक तस्करी** का काम करना बताया गया है। अभियोजन के अनुसार, प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध **प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित 02 अन्य मामले भी पंजीकृत हैं,** जो इस प्रकार है–

प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास				
क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जिला
1	524/2021	**8/21 एनडीपीएस एक्ट**	नकुड़	सहारनपुर
2	142/2026	**8/21/29 एनडीपीएस एक्ट**	नकुड़	सहारनपुर

मामले के तथ्यों एवं अभियुक्त के पूर्व आपराधिक इतिहास को देखते हुए इस बात की सम्भावना है कि अभियुक्त भविष्य में जमानत का दुरूपयोग कर सकता है। प्रस्तुत मामले में बरामदगी की मात्रा अधिक है तथा प्रार्थी/अभियुक्त की भूमिका गम्भीर प्रकृति की दर्शायी गयी है। स्वापक औषधियों एवं मादक पदार्थों की अवैध तस्करी किये जाने से बड़ी संख्या में जन समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इस स्तर पर धारा–37 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के मद्देनजर यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार नहीं है कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं है और यह भी विश्वास करने का कोई आधार नहीं है कि यदि जमानत दी जाती है, तो जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा पुनः कोई अपराध किये जाने की सम्भावना नहीं है।

अतः अपराध की गम्भीरता एवं सामाजिक दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना, अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **शौकीन** पुत्र कामिल की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**172/2026**, अन्तर्गत धारा–**8/21/29** एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना **नकुड़**, जिला सहारनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत **अग्रिम** जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक : 29–07–2026

(**निशान्त देव**)
विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट)
/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर ।
(जे.ओ. कोड–यू.पी.1704)

Digitally signed by Nishant Dev
Date: 2026.07.29 15:46:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Saharanpur